संख्या– 65 /XXVII(7)/18–50(09)/2018

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादून : दिनांक: 07 मार्च, 2019

विषयः– समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 अथवा एम0ए0सी0पी0 के प्रकरणों में समय–समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा निर्धारित प्रकिया के विपरीत समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है, जिसके सन्दर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट की जा रही है:–

क्र.सं.	बिन्दु	स्पष्टीकरण
1	नियमित सेवा के साथ ही साथ निरन्तर की गयी तदर्थ सेवाओं को वित्तीय स्तरोन्नयन की गणना में लिया जायेगा अथवा नहीं ?	शासनादेश संख्या–10/XXVII(7)40 (IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल, 2011 के बिन्दु संख्या–3 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–4 में अंकित स्पष्टीकरण निम्नवत् है:– "यदि सम्बन्धित कार्मिक दिनांक 01 सितम्बर, 2008 को धारित पद के सापेक्ष समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त लाभ के कारण वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत है तो पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता हेतु जिन निरन्तर संतोषजनक सेवाओं को गणना में लिया जा चुका है, ए0सी0पी0 की व्यवस्था में आगे वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता हेतु ऐसी सेवाओं को गणना में लिया जायेगा।" समयमान वेतनमान की व्यवस्था से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–210/ दस–83–स0क0(सा0)–82 दिनांक 04 फरवरी, 1983 में निम्न प्राविधान उपबन्धित है:– "नियमित सेवा से तात्पर्य ऐसी सेवा से है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा नियमों/शर्तों के अनुसार किये गये चयन के फलस्वरूप नियुक्त किसी कर्मचारी द्वारा की गयी हो। अल्प अवधि के लिये अवकाश अवधि के लिए अथवा तदर्थ रूप से नियुक्ति पर किसी कर्मचारी द्वारा की गयी सेवा को "नियमित सेवा" नहीं

		माना जायेगा और "नियमित सेवा" की अवधि का आगणन उस तिथि/वर्ष से किया जायेगा, जिसके आधार पर किसी कर्मचारी की अपने संवर्ग में ज्येष्ठता निर्धारित की गयी हो" उक्त से स्पष्ट है कि समयमान वेतनमान /ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के अंतर्गत लाभ की अनुमन्यता हेतु निर्धारित सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कार्मिक के नियमित नियुक्ति की तिथि से ही की जाए। इसमें संविदा, दैनिक वेतनभोगी, नियत वेतन, कार्यप्रभारित, सीजनल, तदर्थ आधार पर की गई सेवाओं को गणना में नहीं लिया जाएगा। किसी स्थाई/अस्थाई सृजित पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात यदि किसी कार्मिक को स्थानापन्न, तदर्थ, प्रभारी व्यवस्था के रूप में उच्चतर पद अथवा समकक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसी दशा में उक्त अवधि की सेवायें गणना में ली जायेगी। अर्थात दो नियमित नियुक्तियों के मध्य में तदर्थ, प्रभारी अथवा स्थानापन्न रूप से की गयी निरन्तर सेवायें समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 /एम0ए0सी0पी0 हेतु गणना में ली जायेगी।
2.	शासनादेश संख्या–589, दिनांक 01 जुलाई, 2013 के प्रस्तर 2 (1)(घ) में अंकित है कि "पूर्व स्थिति के आधार पर ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत किया जा चुका है, तो ऐसे प्रकरणों को पुनरोद्घाटित (re-open) नहीं किया जाएगा।" क्या इसका आशय यह है कि ए0सी0पी0 सम्बन्धी जो प्रकरण पूर्व में स्वीकृत किए जा चुके हों उन्हें "ए0सी0पी0 सम्बन्धी वर्तमान में निर्गत स्पष्टीकरणों के परिप्रेक्ष्य में संशोधित कर समायोजन की कार्यवाही नहीं की जाएगी?"	शासनादेश संख्या– 589, दिनांक 01 जुलाई, 2013 के प्रस्तर–2(1)(घ) एवं प्रस्तर–2(5)(क) में निम्न व्यवस्था उपबन्धित है:– **प्रस्तर–2(1)(घ)** "उपर्युक्त शासनादेश संख्या– 313/xxvii(7)40 (ix)/2011, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर– 2 (5) एवं संख्या–314/xxvii(7)(40) (ix)/2011, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर–2 (क) में ए0सी0पी0 की व्यवस्था के प्रसंग में सामान्य अवधारणा के दृष्टिगत "धारित पद" का आशय स्पष्ट किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप यदि किसी कार्मिक के संबंध में यह तथ्य संज्ञान में आता है कि उक्त तिथि 30 अक्टूबर, 2012 तक उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 के क्रम में पूर्व स्थिति के आधार पर ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत किया जा चुका है, तो ऐसे प्रकरणों को पुनरोद्घाटित (re-open) नहीं किया जाएगा। **प्रस्तर–2(5)(क)** "शासनादेश संख्या–314 दिनांक 30.10.2012 के निर्गत होने तक शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 में निहित पूर्व की किसी व्यवस्था से आच्छादित किसी प्रकरण में ए0सी0पी0 का लाभ दिनांक 01.09.2008 के पूर्व की तिथि से स्वीकृत किया जा चुका है, तो ऐसे प्रकरणों को पुनरोद्घाटित (**Re-open**) नहीं किया जायेगा।"

		स्पष्ट है कि पुनरोद्घाटित न किए जाने की स्थिति मात्र उपरोक्त परिधि, जोकि सामान्यतः सीधी भर्ती से ग्रेड वेतन रू0 5400/–(वेतन बैंड 3) अथवा उससे उच्च ग्रेड वेतन में नियुक्त पदधारकों के सन्दर्भ में ही आएगी किन्तु ऐसे प्रकरणों का परीक्षण भी उपरोक्त शासनादेश दिनांक 01 जुलाई, 2013 के प्रस्तर–2(5)(क) में दी गई व्यवस्थानुरूप एवं इस स्पष्टीकरण के क्रमांक–1 व 2 में दी गई व्याख्या के परिप्रेक्ष्य में अवश्यमेव कर लिया जाए और जहां कहीं इंगित प्रावधानों के विपरीत स्वीकृति/वेतन निर्धारण किया गया है वहां अधिक भुगतानित धनराशि का समायोजन किया जाए। यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि पूर्व/वर्तमान में निर्गत किए गए/निर्गत किए जा रहे ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 सम्बन्धी स्पष्टीकरणों/प्रावधानों में दी गई व्यवस्था से इतर कोई स्वीकृति निर्गत की गई है तो ऐसे सभी प्रकरणों की पुनः जांच कर ली जाए और जहां कहीं त्रुटिपूर्ण स्वीकृति की स्थिति सामने आती है, वहां अधिक हुए वेतन–भत्तों के भुगतान के समायोजन की कार्यवाही की जाए।
3.	शासनादेश संख्या– 11, दिनांक 17 फरवरी, 2017 में एम0ए0सी0पी0 अनुमन्यता हेतु विगत 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां उत्तम/अतिउत्तम श्रेणी के होने संबंधी प्रावधान रखा गया है, यदि किसी कार्मिक की 09 वर्ष की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अतिउत्तम श्रेणी की हो और 01 वर्ष की उत्तम श्रेणी की, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता कब से होगी?	शासनादेश संख्या– 11, दिनांक 17 फरवरी, 2017 के संलग्नक–1 के प्रस्तर 17 में "वित्तीय अपग्रेडेशन उपयुक्तता के सन्दर्भ में व्यवस्था निम्नवत् है:– "उपर्युक्त अपग्रेडेशन उपयुक्तता के आधार पर अनुमन्य होगा। वेतन मैट्रिक्स के स्तर–1 से स्तर–5 तक के पद सोपान के लिए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉं "उत्तम" और इसके पश्चात के स्तरों के लिए 'अति उत्तम' के आधार पर वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के समय पिछले 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टयॉं देखी जायेंगी।" उक्त व्यवस्था के आलोक में स्पष्ट किया जाना है कि वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा में यदि किसी वर्ष की वार्षिक प्रविष्टी मानक से न्यून हो तो उस वर्ष को अर्हता हेतु गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाना है कि एम0ए0सी0पी0 लागू होने की तिथि से ही यह व्यवस्था लागू होगी।
4.	क्या संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन, आउटसोर्स के रूप में नियुक्त कार्मिक को वार्षिक वेतनवृद्धि देय है।	नियमित सेवा को प्रस्तर–1 में सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04.02.1983 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। स्पष्ट है कि संविदा, आउटसोर्स, नियत वेतन व दैनिक वेतन पर की गयी सेवाओं पर वार्षिक वेतनवृद्धि

		अनुमन्य नहीं होगी।

2. विनियमितीकरण आदेश जारी करने की तिथि से ही नियमित सेवा आगणित की जायेगी बशर्ते विनियमितीकरण आदेश पूर्वगामी तिथि से लागू न किया गया हो।

3. यदि किसी कार्मिक का वेतन निर्धारण उपरोक्त वर्णित शासनादेशों/स्पष्टीकरण में उपबन्धित व्यवस्था से इतर किया गया है तो उक्तानुसार वेतन/पेंशन का पुनर्निधारण करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि की नियमानुसार वसूली/समायोजन आगामी माहों में देय वेतन/पेंशन से किया जाना कृपया सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः / (1)/ /XXVII(7) 18–50(09)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, महोलेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
5. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, आडिट विभाग, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, सेंटर फॉर ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन फाइनैन्शल एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आहरण वितरण अधिकारी, वेतन आयोग प्रकोष्ठ, वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।